

नम्बर व तारीख
अहकाम जो
इस हुकम की
तागील में जारी

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

हुकम

31/11
रामपुराद vs कानाशाम

2

वकील अपीलार्थी को अवगत कि हे-प्रीवरी
उपल. वकील अपीलार्थी ने प्रकरण को नोर्टेपुस
नहीं चलाते हुए प्रकरण को नोर्टेपुस
कर अपील अपीलार्थी करण करे
आने का निवेदन किया। दोनों पक्षवली
का उपलोकन किया। वकील अपीलार्थी
द्वारा प्रकरण नोर्टेपुस किया गया। अंतः
अपील अपीलार्थी नोर्टेपुस में शर्तिया
की जाती हैं। पक्षवली पक्षवली सुमार होकर
नवंबर से कम हो। तहत - पत्रालय विधिक
सूचित हो। पक्षवली बाद तकमील जाकर
दखिल इन्तार हो। आदेश सुनकरा करण।

ms
1/3/88

20/12/2015

दिना
अतिरिक्त संभागीय रामपुर
जयपुर